**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1645/2024

In

S.B. Criminal Appeal No-2503/2024

Kartar Singh Alias Bablu S/o Shree Balu Singh, Aged About 39 Years, R/o Ward No. 09, Ramavas, Govindgarh, Tehsil Govindgarh Dsitrict Alwar (Rajasthan (Presently At Sevar Central Jail Bharatpur Rajasthan)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Special Public Prosecutor

----Respondent

---

For Petitioner(s) : श्री परमिन्दर दाधीच
For Respondent(s) : श्री तेज प्रकाश शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**27-03-2026**

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट प्रकरण, भरतपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**77/2022, सरकार बनाम शौकीन वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **12.09.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **दस वर्ष के कठोर** कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व

विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी दिनांक 30.01.2022 से लगातार अभिरक्षा में है, वह लगभग 4 वर्ष से अधिक की सजा भुगत चुका है। अपीलार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुयी है । जिस मोबाईल नंबर से कॉल करना बतायी गई है उसमें से दो मोबाईल अपीलार्थी काम में नहीं लेता है । प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी वाहन का स्वामी नहीं रहा है। अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि अनुसंधान के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत हुयी है । अपीलार्थी के बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं तथा उनकी कॉल डिटेल भी रही है । वाहन अपीलार्थी द्वारा इकरारनामा के जरिए खरीदा गया है जो प्रदर्श पी–206 रहा है । प्रदर्श पी–229 बैंक का स्टेटमेंट रहा है । विचारण न्यायालय द्वारा सही तथ्यों पर विचार करते हुए उक्त दोषसिद्धि व दण्डादेश पारित किया है। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–251, प्रदर्श पी– 206 व प्रदर्श पी–229 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र इस स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **करतार सिंह उर्फ बबलू पुत्र श्री बालूसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/32sos